

30/10/23

पत्रावली आज्ञा प्रार्थी मय अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर लक्ष्य हुई, प्रार्थी मय अधिवक्ता ने उक्त दस्तावेज निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है, अतः प्रकरण विद्धो किया जावे, व्यापकित में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आवेदन में आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर आवेदन विद्धो किया जाता है। पत्रावली दिशिक्ष सुधार दफ्तर दायित्व दफ्तर हा सेवा से मफ्त



शा. (करील प्रार्थी)

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

